



Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:
www.dfccil.gov.in

No. 2018/HQ/Admin/RTI-367

New Delhi: 01.10.2018

Shri Latoori Singh
Vill-Sarai Ilhai,
Post-Kunetha, Tehsil-Marthna
District-Etawah
UP

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Your RTI Application dated 30.08.18 received through DOPT.

Information i. r. o. your above RTI application as received is attached as Annex "A".

Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then you can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st Appellate Authority whose name and address is as under;

Shri Satish Kothari, GGM/ Administration DFCCIL,
5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building, New Delhi-110001.

(S.K.PANDA)

Dy. G.M/Admn.(PIO)

E-mail: skpanda@dfcc.co.in

9717636811

DA: 02 Sheets.

Copy to:

Chief Project Manager,
DFCCIL, 3/20, 3rd Floor,
KPS Tower, Mayur Complex,
Nagla Padi, Near Tulsi Cinema,
NH-02, Agra-282 002

For information & Record only



डेडीकैटेड फ्रेट कोरिडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

पत्रांक: CNB/EN/RTI/16(A)

Date- 26-09-18

सेवा में,

मुख्य परियोजना प्रबन्धक,
डी०एफ०सी०सी०आई०एल०,
टुण्डला (आगरा)

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत श्री लदूरी सिंह, पुत्र श्री अनोखेलाल निवासी ग्राम सराय इलाही पो० कुनैठा तह०-भरथना, जिला-इटावा उ०प्र०, द्वारा मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- डिप्टी जी०एम०/एम्मीन/पी०आई०ओ० का पत्रांक सं० 2018/HQ/ADMIN/RTI-367 दिनांक 31.08.18

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। श्री लदूरी सिंह, पुत्र अनोखेलाल निवासी ग्राम सराय इलाही पो० कुनैठा तह०-भरथना, जिला-इटावा द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत मांगी गई सूचना विषयक पत्र दिनांक 05.08.2018 इस कार्यालय में ईमेल के माध्यम से डिप्टी जी०एम०/एम्मीन/पी०आई०ओ० का पत्र सं० 2018/HQ/ADMIN/RTI-367 दिनांक 31.08.18 के संलग्नक के रूप में प्राप्त हुई है।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि डेडीकैटेड फ्रेट कोरिडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० (रेल मंत्रालय) भारत सरकार की पूर्वी मालवाड़ा परियोजना हेतु ग्राम- मोडी, तहसील-भरथना, जिला-इटावा की एलाइमेंट में आने वाली भूमि का अर्जन डी०एफ०सी०सी० द्वारा रेलवे संशोधित अधिनियम 2008 के अर्न्तगत नियमानुसार करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रथम चरण में अर्जित भूमि का अभिनिर्णय दिनांक 15.06.2010 को व द्वितीय चरण में अर्जित भूमि का अभिनिर्णय दिनांक 26.08.2011 व तृतीय चरण में अर्जित भूमि का अभिनिर्णय दिनांक 24.03.2014 को सक्षम अधिकारी द्वारा घोषित किया गया है। जिसमें उक्त ग्राम के अर्जित गाटा सं० 2,3,4,5,6,7,8,10 व 621 भी प्रभावित हुआ है। उपरोक्त गाटों में मूल भूस्वामी ने छोटे-2 आवासीय प्लॉटिंग करके विभिन्न व्यक्तियों को वर्ष 1980 के दशक में प्लॉटों का विक्रय करके रजिस्ट्ररी (बिनामा) कर दिया था, किन्तु विक्रीत भूमि का नामांकन राजस्व अभिलेखों न होने तथा मानचित्र में रजिस्ट्ररी अनुसार सीमांकन न होने के कारण यह सुनिश्चित करना संभव नहीं हो रहा था कि किस व्यक्ति की भूमि/प्लॉट परियोजना के एलाइमेंट में प्रभावित हो रहा है। डी०एफ०सी०सी० तथा जिला प्रशासन/राजस्व विभाग इटावा के द्वारा भूमि के स्वामित्व का सत्यापन करने के उपरान्त प्रतिकर के भुगतान करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री लट्ठी सिंह पुत्र अनोखे लाल के द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सात प्रस्तारों पर मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में प्रस्तवार आख्या निम्नलिखित है:-

1. ग्राम- मोड़ी, तहसील-भरथना, जिला-इटावा की परियोजना प्रभावित भूमि का अर्जन तीन चरणों में रेलवे (संशोधित) अधिनियम 2008 के अन्तर्गत किया गया है। प्रथम चरण में अर्जित भूमि का अभिनिर्णय दिनांक 15.06.2010 को व द्वितीय चरण में अर्जित भूमि का अभिनिर्णय दिनांक 26.08.2011 व तृतीय चरण में अर्जित भूमि का अभिनिर्णय दिनांक 24.03.2014 को सक्षम अधिकारी द्वारा घोषित किया गया है।
2. श्री लट्ठी सिंह व जयदेव सिंह पुत्र अनोखे लाल को उनके आवासीय प्लॉट के सापेक्ष नियमानुसार देय मुआवजे की धनराशि के भुगतान की कार्यवाही प्रचलित है।
3. अधिग्रहीत भूमि की स्थानीय बाजार का मूल्य व सरकारी मूल्य किस वर्ष का अपेक्षित है, प्रार्थना पत्र में उल्लेखित नहीं है। वर्षवार अर्जित भूमि का बाजार मूल्य व सरकारी मूल्य, निबन्धक कार्यालय इटावा व जिला मूल्यांकन सूची इटावा से ही प्राप्त हो सकती है।
4. ग्राम- मोड़ी, तहसील-भरथना, जिला-इटावा की प्रभावित भूमि का अर्जन तीन चरणों में रेलवे (संशोधित) अधिनियम 2008 के अन्तर्गत किया गया है। इस अधिनियम में ब्याज दिये का कोई प्रविधान नहीं है।
5. ग्राम-मोड़ी तह0-भरथना, जिला-इटावा की भूमि के अर्जन हेतु वर्ष 2008 में प्रकाशित आधिसूचना की भूमि के अर्जन पर नवीन अधिनियम (भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम 2013) प्रभावी नहीं है।
6. अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर के भुगतान की कार्यवाही प्रचलित है, यथाशीघ्र प्रतिकर का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
7. भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर, पर ब्याज का भुगतान किये जाने का कोई विधिक आधार नहीं है।

कृपया वस्तुस्थिति से अवगत होने का कष्ट करें।

33
1
25/11/18

उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी.एफ.सी.सी.आई.एल / कानपुर।

RECEIVED
 Date.....
 Sign.....
 DGM/PIO Office.....